न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 55/2022

1. रामदेवसिंह पुत्र गोपालराम
2. इन्द्राजसिंह पुत्र गोपालराम

समस्त जाति जाट निवासीयान बडवारी, जिला झुन्झूंनू राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र रामगोपाल गुर्जर नि0 गोमती भवन, झोटवाडा, जयपुर।
2. चन्द्रशेखर पुत्र रामगोपाल गुर्जर नि0 गोमती भवन, झोटवाडा, जयपुर।
3. रतनलाल पुत्र रामगोपाल गुर्जर नि0 गोमती भवन, झोटवाडा, जयपुर।
4. श्रीमती शारदा देवी पुत्री स्व0 रामगोपाल पत्नि आन्नदसिंह गुर्जर निवासी झोटवाडा
5. उषा देवी पुत्री स्व0 रामगोपाल पत्नि पुरूषोत्तम गुर्जर नि0 सांगानेर तह0 सांगानेर
6. सुमन देवी पुत्री स्व0 रामगोपाल पत्नि सत्यनारायण गुर्जर नि0 सांगानेर तह0 सांगानेर
7. तारा देवी पत्नि स्व0 करतारसिंह
8. सविता पुत्री स्व0 करतारसिंह
9. नीतू पुत्री स्व0 करतारसिंह
10. किर्ती पुत्री स्व0 करतारसिंह
11. पूनम पुत्री स्व0 करतारसिंह

समस्त जाति गुर्जर निवासीयान झोटवाडा, जयपुर राज0।

12. उर्मीला पत्नि स्व0 लक्ष्मणसिंह
13. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 लक्ष्मणसिंह

समस्त जाति गुर्जर निवासीयान झोटवाडा, जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 एक्ट

1. श्री सुरेन्द्र कुमार परिहार वकील प्रार्थीगण
2. श्री लोकेश कुमार शर्मा वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :– 31.01.2024

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 84/20/0.42 वाकै ग्राम रूपसिंह का बास तहसील जोबनेर में स्थित है जो कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की आराजीयात पर आने जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपनी भूमि की बाजोत काश्त करने के लिए व अपनी भूमि को उपजाऊ व विकसित करने के लिए जयपुर–जोबनेर राजमार्ग से प्रारम्भ होकर खसरा नंबर 78/20/1.78 वाकै ग्राम रूपसिंह का बास की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 84/20 तक पहुचंने के लिए 9 मीटर चौडा एवं 102 मीटर लम्बाई के कुल 918 वर्गमीटर नये मार्ग की आवश्यकता है। विधि वजह प्रार्थीगण जरिये अदालत आराजी खसरा नम्बर 78/20 मे से 9 मीटर चौडाई एवं 102 मीटर लम्बाई का रास्ता कायम करा पाने के अधिकारी है। अतः आराजी खसरा नम्बर 78/20 मे से 9 मीटर चौडाई एवं 102 मीटर लम्बाई का रास्ता कायम किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 व 10 लगायत 13 की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश कुमार शर्मा न्यायालय में उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 9 के विरूद्ध न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 व 10 लगायत 13 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात भी जवाब पेश ना करने पर दिनांक 04.10.2023 को जवाब बंद किया गया।

तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 14.07.2022 को रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मौके पर प्रार्थीगण द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 84/20 में पहुंचने हेतु आराजी खसरा नम्बर 78/20 से रास्ता चाहा गया है। प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 78/20 के पूर्वी सीमा के सहारे है। उक्त खसरा नंबर नागौर–जयपुर हाईवे पर स्थित है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 108 मीटर एवं चौडाई 9 मीटर तथा कुल क्षेत्रफल 0.0972 हे0 है। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते की भूमि अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। उक्त रास्ते की भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही है। प्रस्तावित रास्ते की डी.एल.सी. दर से दुगना करने पर जमा योग्य राशि 825853 रूपये बनती है। उक्त रिपोर्ट संबंधित खातेदारो को नोटिस देकर तैयार की गई है।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यो को एवं वकील अप्रार्थीगण ने केवल इस तथ्य की आपत्ति प्रस्तुत की है कि तहसीलदार, जोबनेर को अपनी रिपोर्ट में रास्ता खसरें के पूर्वी किनारे के स्थान पर पश्चिमी किनारें की ओर प्रस्तावित किया जाना चाहिए था।

हमने वकील उभयपक्षकारान की बहस को सुना, गनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। यहाँ पर प्रार्थीगण द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 84/20 में पहुंचने हेतु आराजी खसरा नम्बर 78/20 से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार जोबनेर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि मौके पर प्रार्थीगण द्वारा अपने आराजी खसरा नम्बर 84/20 में पहुंचने हेतु आराजी खसरा नम्बर 78/20 से रास्ता चाहा गया है। प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 78/20 के पूर्वी सीमा के सहारे है। उक्त खसरा नंबर नागौर–जयपुर हाईवे पर स्थित है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 108 मीटर एवं चौडाई 9 मीटर तथा कुल क्षेत्रफल 0.0972 हे0 है। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते की भूमि अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। उक्त रास्ते की भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही है।

उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मौका अनुसार प्रार्थीगण को न्यूनतम दूरी का रास्ता आ.0ख0नं0 78/20 से ही उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु आवश्यक है। मौके की स्थिति अनुसार सुगम एवं सुविधा जनक रास्ता यही है। उक्त रास्ता की भूमि अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। उक्त रास्ते की भूमि पर कोई स्थगन आदेश नही है। जहां तक अप्रार्थीगण की यह आपत्ति है कि तहसीलदार, जोबनेर को अपनी रिपोर्ट में रास्ता खसरें के पूर्वी किनारे के स्थान पर पश्चिमी किनारें की ओर प्रस्तावित किया जाना चाहिए था। मौका नवशा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार, जोबनेर द्वारा खसरें के पूर्वी किनारे की ओर से रास्ता प्रस्तावित किया है। जबकि अगर पश्चिमी किनारे पर रास्ता प्रस्तावित किया जाता है तो रास्ता अप्रार्थीगण के खसरें के मध्य मे से गुजरता है। जो कि कृषि उपयोग हेतु अप्रार्थीगण को ही हानिकर होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को आ.0ख0नं0 78/20 में से पूर्वी किनारे से रास्ता दिया जाना सरल एवं सुगम प्रतीत होता है। जिसकी लम्बाई 108 मीटर एवं चौडाई 9 मीटर है। जिसका क्षेत्रफल 0.0972 हे0 है। जिसकी डी.एल.सी. दर से दुगना करने पर जमा योग्य राशि 825853 रूपये बनती है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :-

प्रार्थीगण के आराजी खसरा नम्बर 84/20/0.42 तक आराजी खसरा नम्बर 78/20/1.78 में से होकर 108 मीटर लम्बा एवं 9 मीटर चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार जोबनेर प्रार्थीगण से प्रचलित डीएलसी रेट की दुगनी राशि 825853 रूपये जमा कराकर अप्रार्थीगण को नियमानुसार अदा करेंगे एवं राजस्व रिकार्ड में दिनांक 14.07.2022 की रिपोर्ट के अनुसार कुल लम्बाई 108 मीटर का गैर मुमकिन रास्ते का इन्द्राज करेंगें। तहसीलदार जोबनेर की रिपोर्ट दिनांक 14.07.2022 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)